न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2024-0107Ju2024-50 Kishanaram ors Vs Ugam Kanwar etc

01. किशनाराम पुत्र लिखमाराम
02. धर्माराम पुत्र लिखमाराम
03. मोहनराम पुत्र लिखमाराम
04. रेंवतराम पुत्र लिखमाराम
05. मगाराम पुत्र लिखमाराम

सभी जातियान् जाट, निवासीगण– ग्राम गगाड़ी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

01. श्रीमती उगम कंवर पत्नी प्रेमसिंह, जाति राजपूत, निवासी– ग्राम खुड़ियाला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर बालेसर दिनांक 28 फरवरी 2024 राजस्व वाद संख्या 24/2022 किषनाराम व अन्य बनाम उगम कंवर इत्यादि

———— 0 ————

उपस्थित–

श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री पूर्णसिंह राठौड़, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 02 जून 2025

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर बालेसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2022 किषनाराम व अन्य बनाम उगम कंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 01 अप्रैल 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 578 रकबा 22 बीघा, खसरा नंबर 578/2 रकबा 22 बीघा ग्राम खुडियाला तहसील बालेसर के संबंध में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेष किया गया। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी/रेस्पो. संख्या एक की तरफ से आदेष 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेष किया गया।

विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादी/अपीलार्थी का वाद खारिज कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसका विधिवत्त विभाजन होना है। वक्त वाद प्रस्तुति वादग्रस्त आराजी राजस्व नक्षे में मूल खसरा नम्बर 578 के रूप में सामलाती दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भी अपना जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद को खारिज कर खसरा नम्बर 578/1 रकबा 22 बीघा की पंजीकृत बैचान दिनाक 14.10.2021 में दर्षित पडौस अनुसार बंटवाड़ा किये जाने का अनुतोष चाहा गया था। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तनकियात कायमी हेतु विचाराधीन थी। उसी दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में कथन किये कि वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा हो चुका है तथा नक्शे में तरमीम दर्ज होकर अलग–अलग खातेदारी दर्ज हो चुकी है। उक्त वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा पूर्व में हो चुका है। इस कारण उक्त खसरा की भूमि का दोबारा बंटवाड़ा नही हो सकता है। इस कारण अपीलान्ट का बंटवाडे का दावा कानूनन चलने योग्य नहीं होने से प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की ओर से रेस्पोडेंट संख्या एक के कथनों का खण्डन करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूल खसरा नम्बर 578 का नक्शे में बट्टा नम्बर का तरमीम नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि कानून एवं आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का अवलोकन किये बिना ही विधि विरूद्ध तरीके से सरसरी तौर पर रेस्पोडेन्ट सख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट्स के वाद को खारिज किये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जबकि वाद खारिज किये जाने का एक भी न्यायोचित कारण नहीं बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नक्शे की प्रति के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नक्शे में तरमीम किस आदेश से की गयी है, वह आदेश रेस्पोडेन्ट ने प्रस्तुत नही किया है एव न ही प्रार्थना पत्र में कोई आदेश का वर्णन किया है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में दिनाक 24.02.2022 को राजस्व रेकर्ड एवं मौके की

यथास्थिति बनाये रखे जाने का स्थगन आदेश पारित किया गया था, वह स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है। अगर स्थगन आदेश होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलीभगत कर विधि विरूद्ध तरीके से राजस्व अभिलेख, नक्शे इत्यादि में परिवर्तन करवाया है। उक्त परिवर्तन कानूनन अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी है। उक्त शून्य एवं निष्प्रभावी परिवर्तन के आधार पर अपीलान्ट का वाद कानूनन खारिज नहीं किया जा सकता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं विधि व कानून एवं नियमों का भलीभांति अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाबदावा पेश किया जा चुका है एवं पत्रावली वास्ते कायमी तनकियात हेतू विचाराधीन थी तो तनकियात कायम किया जाकर एवं पक्षकारान् के द्वारा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत होने के पश्चात ही दावे का विधि व नियमानुसार निर्णय पारित किया जाना चाहिये था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने के पश्चात पिछली तारीख में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जबकि किसी भी अधिकारी का स्थानान्तरण होने के पश्चात निर्णय पारित नही किया जा सकता है तथा अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण निर्णय है जो स्पीकिग ऑर्डर की परिभाषा में ही नहीं आता है इस कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनाक 28 फरवरी 2024 को निरस्त किया जावे मामला गुणावगुण पर निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का पूर्व में विधिवत विभाजन हो चुका है, किंतु राजस्व नक्षे में तरमीम नहीं होने पर तहसीलदार बालेसर द्वारा आदेष क्रमांकः भू.अ./2023/457 दिनांक 23.06.2023 के जरिये तरमीम शुद्धि की जाकर वादग्रस्त आराजी की तरमीम का आदेष पारित किया गया तथा उक्त आदेष की पालना में वादग्रस्त आराजी की तरमीम हो चुकी है। अपीलांट्स की ओर से तहसीलदार बालेसर के उक्त आदेष को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर

ग्रामीण के समक्ष जरिये अपील चुनौती दी गई जो अपील खारिज हो चुकी है। वादग्रस्त आराजी की तरमीम हो जाने से कानूनन विभाजन का वाद पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। वाद पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वक्त वाद प्रस्तुति वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नंबर 578 राजस्व नक्षे में सामलाती दर्ज थी, जिसकी पुष्टि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नक्षा किष्तवार मौजा खुडियाला दिनांक 22.11.2021 से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व नक्षे में मूल खसरा नंबर 578 के बट्टा नंबर की तरमीम होने के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण के वाद को खारिज किया गया है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी की तरमीम किस सक्षम न्यायालय के कौनसे आदेष के जरिये हुई है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बालेसर के आदेष क्रमांकः प्र.गा.सं./भू.अ./2023/457 दिनांक 23.06.2023 के मुताबिक तहसीलदार बालेसर द्वारा वादग्रस्त आराजी की डी.आई.आर.एल.एम.पी. योजना के तहत हुई गलत तरमीम को दुरूस्त किये जाने के आदेष दिये गये है। यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में हुई तरमीम किसी सक्षम न्यायालय के आदेष से न होकर डी.आई.आर.एल.एम.पी. योजना के तहत सेग्रीगेषन की कार्यवाही के तहत हुई है, जिससे विधिवत बंटवाड़ा/तरमीम नहीं माना जा सकता है।

अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अभिलेख से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दौराने वाद वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी जो वाद के निस्तारण तक निरंतर जारी रही है। भूमिधारी तहसीलदार द्वारा

स्थगन आदेष के प्रभावी रहते एवं विभाजन के वाद के विचाराधीन रहने की जानकारी होते हुए भी तरमीम दुरूस्ती संबंधी आदेष पारित किया जाना एवं वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में फेरबदल किया जाना कतई न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों पर गौर किये बिना तथा विभाजन संबंधी विहित प्रावधानों पर गौर किये किये बिना प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 11 नियम 7 सीपीसी को केवल वादग्रस्त आराजी के बट्टा नंबर की तरमीम होने के आधार पर स्वीकार कर वादीगण के वाद को खारिज विधि–विरूद्ध तरीके से खारिज किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री न्याय की मंषा एवं विधिक प्रावधानों के विारीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आलोक में अपील अपीलाण्ट आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर बालेसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2022 किषनाराम व अन्य बनाम उगम कंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2024 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देष के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मामले में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मूल वाद का वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत गुणावगुण पर विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर